FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...सहायक कलक्टर SDO... मुकाम ...बायतु...

...मेराराम ...... बनाम ...पदमाराम ......

किस्म मुकदमा ...धारा 111,128 RTA... नं. ...... /2021 ... सन ......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.3.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...नरपत ... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111,128... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...30.4.21... को पेश हो। [signature] 18/3/2021 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक ...04/08/2021 को पेश हो।	
04/08/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक ...13/09/2021 को पेश हो।	
13/09/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 24/11/2021 को पेश हो।	

अज अदालत

तारीख हुक्म

28/04/2022

24/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण नोटिस तामील अदम तामील मय पावती / मौ... पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर वास्ते दिनांक-13/01/2022 को पेश हो।

13/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षी संख्या-1 से 5 व 7 से 9 व 11 से 14 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त व विपक्षी संख्या-6 व 10 के नोटिस तामील पर मौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-6 व 10 के नाम विलोपित करने बाबत का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की विपक्षी संख्या-6 के कायम मुकाम विपक्षी संख्या-3 व 9 तथा विपक्षी संख्या-10 के कायम मुकाम विपक्षी संख्या-13 पूर्व में रेकर्ड पर है इसलिए विपक्षी संख्या-6 व 10 के नाम विलोपित किया जावे। तथा प्रार्थी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। शेष विपक्षीगण संख्या-1 से 5 व 7 से 9 तथा 11 से 14 बावजूद तामील गैरउपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षी संख्या-1 से 5 व 7 से 9 तथा 11 से 14 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-28/04/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर

(SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 535 दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. भेराराम पुत्र देदाराम वगैरा 03, जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी, पटवार मण्डल कोलु, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. पदमाराम पुत्र देवाराम वगैरा 14, जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी, पटवार मण्डल कोलु, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 82 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –नरसाली नाडी, पटवार मण्डल – कोलु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 914 रकबा 13.5022 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांक : 28/04/2022

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 536 – 540

प्रतिलिपि: निम्न को **सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भेराराम पुत्र देदाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री पदमाराम पुत्र देवाराम वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु